(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 12/2021- सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च, 2021

सा.का.नि. (अ.) - जहां कि चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया और चीनी ताईपे (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "ब्लैक टोनर, पाउडर के रूप में" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के उप शीर्षक 3707 90 के अंतर्गत आती है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने प्राथमिक निष्कर्षों में, जिसे अधिसूचना संख्या 6/6/2020-डीजीटीआर, दिनांक 18 जून, 2020, जिसे दिनांक 18 जून, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था के तहत विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी;

और जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 22/2020-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 10 अगस्त, 2020, जिसे सा.का.नि. 498 (अ), दिनांक 10 अगस्त, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2020 से उपर्युक्त विषयगत वस्तु पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहां कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 6/6/2020-डीजीटीआर, दिनांक 28 जनवरी, 2021, जिसे दिनांक 28 जनवरी, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में अपने अंतिम निष्कर्षों में 18 जून, 2020 की प्राथमिक निष्कर्षों की अभिपुष्टि करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि -

(i) प्रश्नगत उत्पाद को विषयगत देश से भारत को निर्यात इसके सामान्य से कम मूल्य पर किया गया था;

(ii) इससे घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;

(iii) यह सारवान क्षति विषयगत देश से प्रश्नगत उत्पाद के फालतू आयात के कारण हुई है;

और उन्होंने विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ

पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है तथा भारत में आयातित है पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा -

सारणी

क्र.सं.	एच एस कोड	वस्तु का विवरण	मुलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3707	ब्लैक टोनर, पाउडर के रूप में*	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	क) हैंनडॉन हॉगगुऑग ओए टोनर कंपनी लिमिटेड; ख) एच जी टेक्नोलॉजिज कंपनी लिमिटेड	1167	मेट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2	3707	ब्लैक टोनर, पाउडर के रूप में*	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	क्रम संख्या 1 से भिन्न कोई भी उत्पादक	1458	मेट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3	3707	ब्लैक टोनर, पाउडर के रूप में*	चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया और ताईवान से भिन्न कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	1458	मेट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

क्र.सं.	एच एस कोड	वस्तु का विवरण	मुलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
4	3707	ब्लैक टोनर, पाउडर के रूप में*	मलेशिया	मलेशिया समेत कोई भी देश	कोई भी	1568	मेट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
5	3707	ब्लैक टोनर, पाउडर के रूप में*	मलेशिया, चीन जनवादी गणराज्य भिन्न कोई भी देश	मलेशिया	कोई भी	1568	मेट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
6	3707	ब्लैक टोनर, पाउडर के रूप में*	ताईवान	ताईवान समेत कोई भी देश	कोई भी	159	मेट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
7	3707	ब्लैक टोनर, पाउडर के रूप में*	ताईवान चीन जनवादी गणराज्य और मलेशिया से भिन्न कोई भी देश	ताईवान	कोई भी	159	मेट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

** ब्लैक टोनर, पाउडर के रूप में, जिसमें निम्नलिखित नहीं आते हैं:*

(i) कलर टोनर;

(ii) एमआईसीआर टोनर (विशिष्ट टोनर जिसका प्रयोग चेक के मुद्रण में होता है);

(iii) ओरिजनल इक्यूपमेंट मैन्युफेक्चरर्स ऑफ प्रिंटिंग इक्यूपमेंट के द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए आयातित टोनरर्स;

(iv) कार्टिजिस के टोनर;

(v) टोनर, द्रव रुप में;

2. इस सूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के लगाए जाने की तारीख अर्थात 10 अगस्त, 2020 से पांच वर्ष तक की अवधि (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) तक लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

बशर्ते कि उक्त प्रतिपाटन शुल्क अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के समाप्त होने की तारीख अर्थात 9 फरवरी, 2021 से लेकर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने के एक दिन पूर्व तक लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या 354/91/2020 -टीआरयू]

(जे.एस. कंधारी)
उप सचिव, भारत सरकार

.